छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

पर्यटन भवन, इंदिरा गांधी मार्ग ,रायपुर–492006

दूरभाष : (0771) 4028634, 4028636, 4224600 फैक्स : (0771) 4066425

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटल/मोटल को मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर दिये जाने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण।

Invitation of Expression of Interest for Management Contract for Hotels/Motels of Chhattisgarh Tourism Board.

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा होटल/मोटल तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है को समूहीकरण (Grouping of properties)के आधार पर दैनंदिनी संचालन हेतु मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर सौंपी जानी है। यह संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपादित की जावेगी :–

''अ''	प्रथम चरण बिड (**Pre-Bid**)	:	अंतिम समय 12.03.2010 सायं 5.00 बजे तक। प्री–बिड कॉन्फ्रेंस दिनांक 15.03.2010 को दोपहर 3.00 बजे। स्थान– छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, मुख्यालय, रायपुर।
''ब''	द्वितीय चरण बिड (**Financial-Bid**)	:	अंतिम समय 27.03.2010 को सायं 5.00 बजे तक।

मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर दी जाने वाली कुल 33 संपत्तियां 12 समूहों में हैं, जिनका विवरण वेबसाईट पर है।

उन्हीं निविदाकर्ता को द्वितीय चरण (फाईनेंशियल बिड) की प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी, जिन्होंने प्रथम चरण (प्री–बिड) हेतु आवेदन किया हो एवं जिनके आवेदन विधि मान्य (Valid) पाए गए हों।

इस संबंध में नियम, शर्ते एवं तिथियों का विवरण छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाईट **www.chhattisgarhtourism.net** पर देखा जा सकता है।

संपूर्ण प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी भी स्टेज (Stage) पर किसी भी समय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ता/–

दिनांक 23.02.2010

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

पर्यटन भवन, इंदिरा गांधी मार्ग ,रायपुर–492006
दूरभाष : (0771) 4028634, 4028636, 4224600 फैक्स : (0771) 4066425

<u>छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटल/मोटल को मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर दिये जाने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण।</u>

<u>Invitation of Expression of Interest for Management Contract for Hotels/Motels of Chhattisgarh Tourism Board.</u>

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा होटल/मोटल तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है को समूहीकरण (Grouping of properties)के आधार पर दैनंदिनी संचालन हेतु मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर सौंपी जानी है। यह संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपादित की जावेगी :–

''अ'' प्रथम चरण बिड (**Pre-Bid**) : अंतिम समय 12.03.2010 सायं 5.00 बजे तक।
प्री–बिड कॉन्फ्रेंस दिनांक 15.03.2010 को दोपहर 3.00 बजे।
स्थान– छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, मुख्यालय, रायपुर।

''ब'' द्वितीय चरण बिड (**Financial-Bid**) : अंतिम समय 27.03.2010 को सायं 5.00 बजे तक।

<u>मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट पर दी जाने वाली संपत्तियों का विवरण</u>

समूह–01 (i) **Tourist Motel Kendri, (Raipur)** (ii) **Tourist Motel Bhatagaon, (Raipur)** (iii) **Bhatagaon Rest House, (Raipur)**	समूह–07 (i) **Tourist Motel Raigarh (Raigarh)** (ii) **Kinkari Rest House (Raigarh)** (ii) **Khumarpakut Rest House (Raigarh)**
समूह–02 (i) **Tourist Motel Nathianawagaon (Kanker)** (ii) **Tourist Motel Kanker , (Kanker)** (iii) **Tourist Motel Kondagaon, (Bastar)**	समूह–08 (i) **Tourist Motel Sargaon, (Bilaspur)** (ii) **Dharampura Rest House (Bilaspur)** (iii) **Godkhamhi Rest House (Bilaspur)**
समूह–03 (i) **Tourist Motel Asana (Jagdalpur)** (ii) **Tourist Motel Tirathgarh (Bastar)** (iii) **Tourist Motel Haram (Dantewada)**	समूह–09 (i) **Tourist Motel Janjgir Champa, Kulipota (Janjgir Champa)** (ii) **Khutaghat Rest House (Bilaspur)** (iii) **Khuria Rest House (Bilaspur)**
समूह–04 (i) **Tourist Motel Khapri (Durg)** (ii) **Tourist Motel Tumdibod, (Rajnandgaon)** (iii) **Tandula Rest House, (Durg)**	समूह–10 (i) **Tourist Motel Chadirama, Ambikapur (Sarguja)** (ii) **Tourist Motel Chirguda, (Korea)** (iii) **Shyam Ghunghutta Rest House (Ambikapur)**
समूह–05 (i) **Tourist Motel Kawardha (Kabirdham)** (ii) **Bhoramdeo Rest House (Kabirdham)**	समूह–11 (i) **Tourist Motel Konkona (Korba)** (ii) **Machadoli Rest Houlse, (Korba)**
समूह–06 (i) **Tourist Motel Kampa, (Mahasamund)** (ii) **Lakholi Rest House (Raipur)** (iii) **Balar, Arjuni Rest House (Raipur)**	समूह–12 (i) **Tourist Motel Rajim, (Raipur)** (ii) **Rest House Kukda (Raipur, Gariaband)**

उन्हीं निविदाकर्ता को द्वितीय चरण (फाईनेंशियल बिड) की प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी, जिन्होंने प्रथम चरण (प्री–बिड) हेतु आवेदन किया हो एवं जिनके आवेदन विधि मान्य (Valid) पाए गए हों।

इस संबंध में नियम, शर्तें एवं तिथियों का विवरण छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाईट **<u>www.chhattisgarhtourism.net</u>** पर देखा जा सकता है।

संपूर्ण प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी भी स्टेज (Stage) पर किसी भी समय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ता/–
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

दिनांक 23.02.2010

रायपुर (छ.ग.)

नियम एवं शर्तें

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

(01) प्रत्येक समूह के होटल/मोटल तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है को आगामी 05 वर्ष के लिए प्रबंधकीय अनुबंध पर सौंपा जाना है तथा उक्त अवधि में संचालनकर्ता का कार्य संतोषप्रद रहेगा तो प्रत्येक आगामी बार एकमुश्त अधिकतम 02 वर्ष के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

(02) एक से अधिक समूहों के लिए बिड किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में पृथक–पृथक सुरक्षा निधि सहित बिड करना होगा।

(03) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की इकाई की स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है, प्रबंधकीय संचालन हेतु सौंपी जावेगी परंतु उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य यथावत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पास ही रहेगा। निविदाकर्ता मात्र उक्त परिसंपत्ति/संपत्ति का दैनंदिनी संचालन करेगा।

(04) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा किराया की प्रत्येक वर्ष की राशि उस वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक तीन महीने का एक मुश्त अग्रिम के तौर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को डी.डी के माध्यम से भुगतान करना होगा। यदि उक्त निर्धारित अवधि में किराया राशि भुगतान नहीं की गई तो 18% ब्याज दर से अतिरिक्त राशि विलंब शुल्क के रूप में अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को देय होगी। कॉन्ट्रेक्ट धारक की कॉन्ट्रेक्ट अवधि आगे बढ़ाई जाने पर उसे आगामी अवधि का अग्रिम किराया, संबंधित वर्ष के प्रारंभ में उपरोक्तानुसार देना होगा। प्रबंधकीय अनुबंध धारक को प्रबंधकीय अनुबंध के अनुसार अग्रिम किराया राशि जमा करने के पश्चात् ही परिसर संचालन हेतु दिया जावेगा।

(05) प्रबंधकीय अनुबंध प्राप्त करने हेतु फर्म/संस्था/व्यक्ति आवेदन कर सकता है। प्रबंधकीय अनुबंधकर्ता को रेस्टोरेंट अथवा होटल, अथवा हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्रीज के स्वामित्व अथवा इन्हीं में प्रबंधकीय कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय उसे अपनी विगत 03 पूर्ण वित्तीय वर्षो की बैंलेंस शीट प्रदाय करनी होगी। यदि प्रबंधकीय अनुबंध धारक व्यक्ति है तो उनकी आयु 21 वर्ष तथा संस्था होने पर न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का पंजीकरण होना आवश्यक होगा। प्रबंधकीय अनुबंध धारक को सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एवं शासन के अन्य विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। उसे उपकरों, करों, अधिकरों आदि का समय पर भुगतान करना होगा तथा उसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, पिछले 03 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न, पैन नंबर एवं सर्विस टैक्स नंबर देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रबंधकीय अनुबंध धारक को आवेदन के साथ जमा करनी होगी एवं पात्रता चयन के समय प्री–बिड कॉन्फ्रेंस के दो घण्टे पूर्व निविदाकर्ता को मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा।

(06) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा किसी भी परिस्थिति में होटल, मोटल, तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है एवं अन्य किसी भी भाग को किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सबलेट या सब–कांट्रेक्ट पर नहीं देगा।

(07) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा उसे सौंपी गयी जगह के अतिरिक्त यदि अन्य जगह को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक समझा जाता है तो उन्हें इस जगह के उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

(08) प्रबंधकीय अवधि में सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा एवं रख–रखाव प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा किया जावेगा। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसकी Liability पर्यटन मण्डल पर आये। प्रबंधकीय अनुबंध अवधि की समाप्ती पर प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को समस्त संपत्ति उसी स्थिति में (As was, so is) सौंपना होगा जिस स्थिति में उन्होंने अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय प्राप्त किया था।

(09) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा सौंपी गयी संपत्तियों की आधारभूत संरचना में किसी प्रकार का एडीशन, आल्टरेशन नहीं किया जावेगा। अगर प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा प्रबंधकीय अनुबंध पर दी गई संपत्तियों/परिसंपत्तियों एवं भवन को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को अनिवार्य रूप से की जावेगी।

(10) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की संपत्ति/परिसंपत्ति में कोई अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई कार्य के लिए निर्माण कराने हेतु आवेदन देने पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल उसे पृथक से किराये पर देने हेतु आवश्यकता समझे जाने पर विचार कर सकता है।

(11) सभी संपत्तियों/परिसंपत्तियों के एक उपयुक्त स्थान पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा अपना Insignia लगाया जावेगा, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा नहीं किया जावेगा।

(12) होटल, मोटल तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है आदि में प्रबंधकीय अनुबंध धारक एवं उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा अवैधानिक एवं अनैतिक कार्य प्रतिबंधित होगा।

(13) अगर प्रबंधकीय अनुबंध धारक, अनुबंध अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो तीन माह का नोटिस या तीन माह की राशि जमा कराकर ऐसा कर सकता है। यदि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो 03 माह का नोटिस देकर परिसर खाली करवा सकता है।

(14) प्रबंधकीय अनुबंध धारक घोषित् दिवालिया या अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तत्काल नोटिस देकर एक माह के अंदर प्रबंधकीय अनुबंध धारक का अनुबंध समाप्त कर सकता है।

(15) यदि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल यह अनुभव करता है कि प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा होटल, मोटल, तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान आदि के संचालन का कार्य उचित रूप से तथा नियमानुसार नहीं किया जा रहा है तो अनुबंध के नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर एक माह का नोटिस देकर उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा

जब्त कर ली जायेगी।

(16) होटल, मोटल, तथा उसके परिसर में स्थापित समस्त स्थाई एवं अस्थाई संपत्तियां जिसमें लॉन एव खुले स्थान भी सम्मिलित है, में किसी भी परिस्थिति में मादक पदार्थो (Drugs & Narcotics) का प्रदाय एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

(17) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा अगर कोई अवांछित कार्य किया जाता है तो अनुबंधकर्ता पर कैश पैनाल्टी निर्धारण की जावेगी जिसका अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जावेगा। यदि प्रबंधकीय अनुबंध धारक अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारण कर एक माह का नोटिस अथवा एक माह की राशि प्रदाय कर परिसर खाली कराया जा सकेगा।

(18) निरीक्षण अवधि के दौरान यदि यह पाया जाता है कि प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की संपत्तियों का संचालन अनुबंध के अनुरूप नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति में निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा पर समुचित आर्थिक दण्ड निर्धारित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। आर्थिक दण्ड अगर धारक के द्वारा एक माह के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो उक्त राशि को 18% ब्याज सहित भू–राजस्व वसूली (R.R.C) के समान वसूली की जावेगी।

(19) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा बार संचालन हेतु लाईसेंस स्वयं प्राप्त किया जावेगा। इस व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बार संचालन हेतु लाईसेंस एवं अन्य अनुसांगिक व्यय भी प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा व्यय किये जावेंगे।

(20) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी रेस्तरां एवं बार संचालन के दिशा– निर्देशों का पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा में प्रबंधकीय अनुबंध धारक की संपूर्ण जवाबदारी होगी, तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की इसके लिये कोई भी Liability नहीं होगी।

(21) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को नियमित रूप से श्रम कानून तथा शासन के नियमों का पालन करना होगा एवं जो भी दायित्व देय (Liability due) हो उसका जिम्मेदारी से पालन करना होगा।

(22) प्रबंधकीय अनुबंध धारक उसके अधीनस्थ कार्यरत स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार करने पर संबंधित स्टाफ को तत्काल सेवा से पृथक करेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

(23) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को संबंधित इकाई के संचालन हेतु अनिवार्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्थायें करना होगा :–

01. टेलीफोन एवं टेलीविजन व्यवस्था।

02. एक्वागार्ड तथा फिल्टर्ड पेयजल व्यवस्था।

03. संबंधित इकाई में आने वाले आगंतुको तथा इकाई में प्रवास करने वाले अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था।

04. संपूर्ण भवन तथा परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था।

05. सीवरेज तथा गारबेज निराकरण (Disposal) व्यवस्था जिससे संपूर्ण भवन तथा परिसर

स्वच्छ रहे।

06. अग्निशामक उपकरण की व्यवस्था जो सर्वदा कार्यशील रहे।

07. एक कम्प्यूटर सेट इंटरनेट सहित।

08. परिसर को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करना एवं अमल करना।

09. गार्डन मेन्टेनेंस, लैण्डस्केपिंग का यथा स्थिति रखरखाव करना।

(24) Hospitality Management के अंतर्गत प्रबंधकीय अनुबंध धारक को निम्नलिखित सामग्री प्रत्येक कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदाय करना होगाः–

01. लिनेन के अंतर्गत बेडशीट, पिलो कव्हर, प्रत्येक अतिथि हेतु लार्ज टॉवेल, हैण्ड टॉवेल, साबुन अनिवार्य रूप से प्रदाय किया जाना होगा। प्रत्येक दिन अनिवार्य रूप से धुले हुए स्वच्छ लिनेन प्रदाय किया जाना होगा।

02. वाटर जग, ग्लास विथ ग्लास कव्हर, गुडनाईट मैट, गुलदस्ता, ऐश ट्रे, डोर मैट, बाथ मैट, डस्टबीन, दो बकेट एवं दो मग प्रत्येक कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदाय किया जावेगा।

(25) छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा जो भी सामग्री इकाई में प्रदान की जावेगी, यथा फर्नीचर, गीजर, कूलर, फैन, ट्यूब लाईट, नल फिटिंग, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युत सामग्री आदि के रिप्लेसमेंट, रखरखाव, सर्विसिंग, नवीनीकरण एवं सुधार कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधकीय अनुबंध धारक की होगी।

(26) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा अतिथियों को सुविधा प्रदाय करने हेतु आवश्यक Indoor तथा Open Ground में पार्टी आदि की व्यवस्था की जा सकती है परंतु यह ध्यान रखना होगा कि लॉन आदि को नुकसान न हो तथा लाऊड स्पीकर आदि के लिए विधिवत अनुमति ली गई हो तथा इससे इकाई में ठहरने वाले अन्य अतिथियों को परेशानी न हो।

(27) प्रबंधकीय अनुबंध धारक प्रवास करने वाले अतिथियों/यात्रियों/पर्यटकों के लिए कक्षो में अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर रूम सर्विस की व्यवस्था करेगा एवं उक्त रूम सर्विस के लिए घोषित रेट लिस्ट पर अतिरिक्त अधिकतम पांच प्रतिशत तक सर्विस चार्ज के रूप में ले सकता है।

(28) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को आवास, भोजन तथा अन्य प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का रेट लिस्ट स्वागत कक्ष में समुचित स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा लिए जाने वाले रूम रेंट, मेनू कार्ड रेट्स, बार रेट्स तथा अन्य दरें (Rates) की जानकारी स्थल पर लागू करने के पूर्व छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को अनिवार्यतः देनी होगी।

(29) प्रतिदिन का कक्ष किराया (Room Rent) सामान्यतः राशि रूपये 3000.00 (राशि रूपये तीन हजार) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(30) अनुबंध की अवधि में जल एवं विद्युत व्यय, टेलीफोन व्यय तथा संचालन हेतु अन्य समस्त अनुसांगिक व्यय प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा किया जावेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(31) प्रबंधकीय अनुबंध धारक को समूह के विरूद्ध दर्शाये गये रूम नाईट आवास छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रतिवर्ष निःशुल्क (Free) प्रदाय करना होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

			Free- room Nights Annual
समूह–01			
	(i)	**Tourist Motel Kendri, (Raipur)**	**120 Room Nights**
	(ii)	**Tourist Motel Bhatagaon, (Raipur)**	
	(iii)	**Bhatagaon Rest House, (Raipur)**	
समूह–02			
	(i)	**Tourist Motel Nathianawagaon (Kanker)**	**250 Room Nights**
	(ii)	**Tourist Motel Kanker , (Kanker)**	
	(iii)	**Tourist Motel Kondagaon, (Bastar)**	
समूह–03			
	(i)	**Tourist Motel Asana (Jagdalpur)**	**350 Room Nights**
	(ii)	**Tourist Motel Tirathgarh (Bastar)**	
	(iii)	**Tourist Motel Haram (Dantewada)**	
समूह–04			
	(i)	**Tourist Motel Khapri (Durg)**	**120 Room Nights**
	(ii)	**Tourist Motel Tumdibod, (Rajnandgaon)**	
	(iii)	**Tandula Rest House, (Durg)**	
समूह–05			
	(i)	**Tourist Motel Kawardha (Kabirdham)**	**250 Room Nights**
	(ii)	**Bhoramdeo Rest House (Kabirdham)**	
समूह–06			
	(i)	**Tourist Motel Kampa, (Mahasamund)**	**120 Room Nights**
	(ii)	**Lakholi Rest House (Raipur)**	
	(iii)	**Balar, Arjuni Rest House (Raipur)**	

समूह–07

(i)	**Tourist Motel Raigarh (Raigarh)**	
(ii)	**Kinkari Rest House (Raigarh)**	**150 Room Nights**
(iii)	**Khumarpakut Rest House (Raigarh)**	

समूह–08

(i)	**Tourist Motel Sargaon, (Bilaspur)**	
(ii)	**Dharampura Rest House (Bilaspur)**	**150 Room Nights**
(iii)	**Godkhamhi Rest House (Bilaspur)**	

समूह–09

(i)	**Tourist Motel Janjgir Champa, Kulipota (Janjgir Champa)**	
(ii)	**Khutaghat Rest House (Bilaspur)**	**200 Room Nights**
(iii)	**Khuria Rest House (Bilaspur)**	

समूह–10

(i)	**Tourist Motel Chadirama, Ambikapur (Sarguja)**	
(ii)	**Tourist Motel Chirguda, (Korea)**	**150 Room Nights**
(iii)	**Shyam Ghunghutta Rest House (Ambikapur)**	

समूह–11

(i)	**Tourist Motel Konkona (Korba)**	
(ii)	**Machadoli Rest Houlse, (Korba)**	**120 Room Nights**

समूह–12

(i)	**Tourist Motel Rajim, (Raipur)**	
(ii)	**Rest House Kukda (Raipur, Gariaband)**	**200 Room Nights**

(32) छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अतिथि समय–समय पर जब किसी भी इकाई पर जावेंगे तो उन्हें आवास सुविधा कण्डिका क्रमांक–31 तथा भोजन सुविधा कण्डिका क्रमांक–33/34 के अनुरूप प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा दिया जाना होगा। अतिथि की पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र अतिथि द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

(33) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा इकाई परिसर में पर्यटन मंडल द्वारा संचालित पर्यटन सूचना केन्द्र/ हस्तशिल्प विकास बोर्ड/वनौषधि केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए मंडल द्वारा निर्धारित रियायत दर पर स्टाफ मील सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(34) छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अन्य स्टाफ को एक विनिश्चित अवधि के लिए सीमित मात्रा में डिस्काउंट कूपन दिए जावेंगे।

(35) प्रबंधकीय अनुबंध पर दी गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का पर्यटन सूचना केन्द्र, हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं वनौषधि केन्द्र के लिए पृथक काउण्टर हो सकता है,

जिसका किराया प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा नहीं लिया जावेगा और न ही उसके लिए पृथक से कोई राशि देय होगी।

(36) इकाई में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा एक निर्धारित यूनीफार्म एवं नाम पट्टिका प्रदाय किया जावेगा।

(37) किचन इक्यूपमेंट्स, क्रॉकरी, कटलरी, एक्वागार्ड एवं उपयोग में लाये जाने वाले अन्य सामग्रियों की व्यवस्था प्रबंधकीय अनुबंध धारक को स्वयं करनी होगी।

(38) प्रबंधकीय अनुबंध धारक पर लीज में प्राप्त संपूर्ण परिसर, मय लॉन एवं पार्किंग स्थल की समुचित साफ–सफाई की जिम्मेदारी होगी एवं उसे सौंपे गए परिसर में सामान्य प्रबंधन एवं नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी प्रबंधकीय अनुबंध धारक की ही होगी। संपूर्ण क्षेत्र प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र रहेगा।

(39) अनुबंध स्थान से उत्पन्न होने वाले गारबेज (अनुपयोगी पदार्थ) को रखने एवं नष्ट करने की व्यवस्था प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा ही की जावेगी।

(40) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा अनुबंध में प्राप्त संपूर्ण परिसर, रेस्टोरेंट, किचन, स्टोर रूम, खुले लॉन तथा पार्किंग स्थल की व्यवस्था एवं साफ–सफाई के निरीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकृत अधिकारी, खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा। कमी पाये जाने पर प्रबंधकीय अनुबंध धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(41) सफल निविदाकर्ता को प्रबंधकीय अनुबंध के तहत ली गई संपत्ति के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति होगी बशर्ते विज्ञापन का खर्च प्रबंधकीय अनुबंध धारक स्वयं वहन करे एवं ऐसे विज्ञापन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का नाम, लोगो (Logo) एवं Credits को अनिवार्य रूप से दर्शाया जाना होगा।

(42) प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा अनिवार्य रूप से इकाई में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित Online Reservation System के उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा निर्धारित शुल्क को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को भुगतान करना होगा।

(43) प्री–बिड आवेदन दिनांक 12.03.2010 को शाम 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते हैं। प्री–बिड में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर के नाम पर रू. 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार) डी.डी. अथवा लोकल बैंकर्स चेक रायपुर के माध्यम से अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में उक्त समय सीमा में जमा करनी होगी। निर्धारित समय के बाद आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

(44) दिनांक 15.03.2010 को दोपहर 3.00 बजे से निविदाकर्ताओं के साथ प्री–बिड कान्फ्रेंस आयोजित की जावेगी। वही निविदाकर्ता प्री–बिड कान्फ्रेंस में शामिल हो सकेंगे जो प्री–बिड के नियम शर्तो के तहत पात्र होंगे एवं रू. 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार) की सुरक्षा निधि आवेदन पत्र के साथ

संलग्न की होगी। इस कान्फ्रेंस में निविदाकर्ता अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विचार किया जावेगा तथा द्वितीय चरण (फाईनेंशियल बिड) हेतु नियम एवं शर्तों में उन सुझावों को सम्मिलित करने बाबत् निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को होगा।

(45) प्री–बिड कान्फ्रेंस में जिन बिंदुओं अथवा नियम शर्तो पर विचार किया जावेगा उसके अनुसार द्वितीय चरण की बिड हेतु संशोधित नियम शर्ते दिनांक 17.03.2010 की रात्रि तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाईट में जारी किये जावेंगे। इसके साथ ही वेब साईट पर समूहों की ऑफसेट प्राईज प्रदर्शित कर दी जावेगी।

(46) द्वितीय चरण (फाईनेंशियल बिड) में वही निविदाकर्ता भाग ले सकेंगे जो प्रथम चरण के बिड में भाग ले चुके हों एवं पात्र पाये गये हों, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी द्वितीय चरण के बिड में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(47) प्रबंधकीय अनुबंध धारक फायनेंशिल बिड के समय पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति राशि (Security Amount) के रूप में रूपये 25.00 लाख (राशि रूपये पच्चीस लाख) पर्यटन मंडल में डी. डी. द्वारा जमा करेगा तथा इस पर ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर यह राशि आवश्यक समायोजन के पश्चात् बिना ब्याज वापिस कर दी जावेगी।

(48) जो निविदाकर्ता द्वितीय चरण की बिड में भाग नहीं लेंगे उनकी प्रथम चरण की सुरक्षा निधि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पक्ष में जमा कर ली जावेगी एवं वापिस नहीं की जावेगी एवं जो निविदाकर्ता द्वितीय चरण की बिड में भाग लेंगे उनसे प्रथम चरण की सुरक्षानिधि का समायोजन द्वितीय चरण की सुरक्षा निधि में किया जाकर बकाया सुरक्षा निधि की राशि निविदाकर्ता को अपनी फाईनेंशियल बिड के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में जमा कराना होगा। डी.डी. अथवा लोकल बैंकर्स चेक, रायपुर, के माध्यम से ही प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर के नाम से देय होगा। उक्त राशि को आवेदन के साथ ही संलग्न कर फाईनेंशियल बिड के रूप में अपने ऑफर के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा।

(49) द्वितीय चरण के आवेदन/बिड दिनांक 27.03.2010 को शाम 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/ कोरियर/ व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकेंगे।

(50) जो बिड राशि उच्चतम (Highest) होगी उसे मान्य करने पर विचार किया जावेगा। इस राशि में टैक्स अथवा किसी भी तरह की Liability प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल पर नहीं सौंपी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को जो प्रबंधकीय अनुबंध राशि देय होगी उस पर आयकर की कटौती की राशि प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा वहन की जावेगी तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रबंधकीय अनुबंध राशि प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा शुद्ध भुगतान करना होगा।

(51) सफल निविदाकर्ता का चयन निगोसिएशन द्वारा अथवा बिना निगोसिएशन के भी हो सकता है।

(52) आवेदन प्राप्ति के पश्चात् यदि आवश्यक हो तो दिनांक 30.03.2010 को दोपहर 2.00 बजे से निगोसिएशन किया जावेगा।

(53) सफल निविदाकर्ता के चयन उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं सफल निविदाकर्ता के बीच निर्धारित नियम एवं शर्तो के अनुरूप अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। प्रबंधकीय अनुबंध की अवधि अनुबंध पत्र हस्ताक्षर होने के दिनांक से मान्य होगी। इसके साथ–साथ राशि जमा करने पर वास्तविक आधिपत्य देने की कार्यवाही की जावेगी। सफल निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा प्रसारित किये गये आदेश के 07 दिवस के अंदर अनुबंध करना अनिवार्य होगा एवं अनुबंध हस्ताक्षरित करने के 15 दिवस के अंदर इकाई की फिजीकल कस्टडी लेकर संचालन प्रारंभ करना होगा।

(54) इस अनुबंध एवं शर्तो के अधीन वार्षिक अवधि का तात्पर्य होगा जिस तिथि से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया हो उससे प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि।

(55) छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रबंधकीय अनुबंध धारक द्वारा सभी प्रकार के भुगतान स्थानीय बैंकर्स चेक अथवा डी.डी. द्वारा रायपुर में भुगतान योग्य होगा।

(56) किसी भी विवाद की स्थिति में पर्यटन मण्डल की साधिकार समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा तथा समिति अपना प्रतिवेदन अभिमत के साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को प्रस्तुत करेगी। प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल का निर्णय अंतिम होगा जो प्रबंधकीय अनुबंध धारक को मान्य करना होगा। साधिकार समिति का गठन प्रशासकीय तौर पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जावेगा।

(57) संपूर्ण प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी भी स्टेज (Stage) पर किसी भी समय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

(58) न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर होगा।

हस्ता/–

दिनांक 23.02.2010

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
रायपुर (छ.ग.)